न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
प्रकीर्ण आवेदन संख्याः– 890/11/18
गजेन्द्र सिंह प्रति अनिल सिंह ,आदि
धारा :– 156(3)द0प्र0सं0
थाना :– बन्ना देवी, अलीगढ़।

28–01–2019

पत्रावली पेश हुई, पूर्व दिनांक पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी ने एक लाईसेन्स संख्या– 991 पिस्टल का बनवाया था जो दिनांक 08–06–10 को स्वीकृत हुआ था उक्त लाईसेन्स मैने दिनांक 15–07–2010 को अपने नाम जारी कराया था जो सीमा उ0प्र0 के लिये था। उपरोक्त लाईसेन्स जो मैने अपने नाम कराया था उस पर मेने अपनी पिस्टल नं0– 14886332क जो 32 बोर दिनांक 02–04–2011 को खरीद कर चढवा ली। मेरी पिस्टल मेरे लाईसेन्स संख्या 991 में थाना गॉधी पार्क अलीगढ़ पर चढ़ी हुई थी उसे मै अपने प्रयोग में लेता था उपरोक्त पिस्टल मैने बेच दी बेचकर मैंने दूसरी पिस्टल एन0पी0ओ0 पिस्टल नं0 62326851 खरीदी थी जो 7.63 बोर की थी उसको भी मैने अपने लाईसेन्स संख्या 991 में थाना गॉधी पार्क में चढ़वा लिया था मेरा लाईसेन्स दिनांक 08–06–2019 तक रिन्यू व वैध है। उक्त दूसरी पिस्टल मैने हरी बघेल से 10 लाख 40 हजार रूपये में खरीदी थी मै उक्त पिस्टल को अपने पास रखता था और अपने निजी प्रयोग में लेता था। मुझे प्रतिवादी अनिल सिंह पुत्र राजकुमार ने पाठक गन हाउस होली चौक मसूदाबाद पर फोन करके दिनांक 04–08–2018 को बुलाया था मै फोन सुनकर पिस्टल सहित पाठक गन हाउस मसूदाबाद होली चौक पहुॅच गया तो प्रतिवादी मुझये कहने लगा कि भाई इस पिस्टल को मुझे दे दो मैने मना किया कि मै इस पिस्टल को नहीं बेचूॅगा जबरदस्ती मेरी पिस्टल को छीनकर अपने कब्जे में कर लिया और मुझसे जबरदस्ती एक फार्म पर हस्ताक्षर भी करा लिये और मुझे धमकाकर भगा दिया कि साले कहीं रिपोर्ट करेगा तो हम तुझे ही मार देगे। उपरोक्त बाते घर आकर बताने पर दिनांक 27–09–18 को सुबह करीब 11 बजे मै अपने लड़का प्रताप कुमार व भाई वीरपाल सिंह को लेकर प्रतिवादी के पास गया मैने प्रतिवादी से अपनी पिस्टल मॉगी कि मेरी पिस्टल वापिस दे दो। इसी बात पर प्रार्थी को कमरे में बंद करके बुरी तरह से मारापीटा।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण पर पिस्टल छीन लेना व मॉगने पर उसके साथ मारपीट किये जाने का मुख्य अभियोग लगाया गया है। ऐसी स्थिति में पिस्टल छीनने व मारपीट सम्बन्धित विवाद होने के कारण izkFkhZ व उसके साक्षियो की समीक्षा न्यायालय द्वारा किया जाना समीचीन प्रतीत हो रहा है।

जहॉ तक धारा 156(3)द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराए जाने की बाध्यता का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **जोसफ माधुरी बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरि साक्षी 2001 (3) क्राइम 324, मौ0 युसुफ बनाम श्रीमती आफाक 2006 जे0आई0सी0 705, एलक**

पदमसी बनाम भारत संघ (2007)6 ए0सी0सी0 171 में यह मत व्यक्त किया गया है कि द0प्र0सं0 की धारा 156 (3) के अन्तर्गत अन्वेषण के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र में ....., जिसमें मजिस्ट्रेट न्यायालय संज्ञान लिए जाने से पूर्व धारा 156(3)द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस के द्वारा अन्वेषण का आदेश कर सकता है या परिवाद पर संज्ञान लेकर परिवादी व उसके साक्षीगण का साक्ष्य धारा 200 व 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत जॉच कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0राज्य 2015 (6) एस0सी0सी0 287** से यह मत व्यक्त किया है कि धारा 156(3) द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते समय न्यायालय को विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए। केवल प्रार्थनापत्र में संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख करने मात्र से मजिस्ट्रेट न्यायालय को यह बाध्यता नहीं है कि वह प्रत्येक प्रार्थनापत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करें। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **श्रीनिवास गोंडूलूरी बनाम मैसर्स सेपको इलैक्ट्रिक पावर लि0 (2010) 8 एस0सी0सी0 206** में यह मत व्यक्त किया है कि परिवाद के रूप में संज्ञान लेकर अग्रसरित किए गए मामले पर भी न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर धारा 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पुलिस से जॉच करा सकता है। इसलिए प्रस्तुत मामला भी पुलिस से अन्वेषण कराने हेतु कोई तथ्य पेश न होने के कारण परिवाद के रूप में दर्ज किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन 156(3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य धारा 200 दं0प्र0सं0 दिनांक 26–02–2019 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलीगढ़।